



कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज०)



राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा

Email :- nnksouth@gmail.com, Website :- <https://urban.rajasthan.gov.in/nnks>

क्रमांक:- ननिको(द.)/जनस्वा./2024/12493-503

दिनांक:- 7/11/24

-: ई-निविदा सूचना :-

नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में मुर्दा मवेशी एवं हड्डी उठाने के कार्य हेतु 05 वर्ष का ठेका किये जाने हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इस कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने, प्राप्त करने की तिथि व निविदा की शर्तें इत्यादि नगर निगम की वेबसाईट <http://urban.rajasthan.gov.in/nnks>, <http://sppp.raj.nic.in> पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेतु नगर निगम, कोटा दक्षिण के प्रशासनिक भवन में कमरा नं० 239 में सम्पर्क कर सकते हैं।

UBN No. -

अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण

क्रमांक :- ननिको(द.)/जनस्वा./2024/12493-503
प्रतिलिपि :-

दिनांक:- 7/11/24

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
2. श्रीमान् उपमहापौर महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
3. श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
4. श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
5. उपायुक्त जौन प्रथम/द्वितीय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
6. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा दक्षिण।
7. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम कोटा दक्षिण।
8. प्रोग्रामर, कमरा नम्बर 325, नगर निगम, कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा, निविदा प्रपत्र एवं शर्तें वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. ई-गवर्नेन्स प्रभारी को भेजकर लेख है कि नगर निगम की वेबसाईट पर डालें।
10. पुस्तकालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन नियमानुसार राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्रों में आज ही प्रकाशित करावें।
11. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण

haddi. murda maveshi tender
naddi. murda maveshi tender





कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज०)



राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा

Email :- nnksouth@gmail.com, Website :- https://urban.rajasthan.gov.in/nnks

- निविदा प्रपत्र:-

फोटो लगावें

- कार्य का नाम :- मुर्दा मवेशी एवं हड्डी उठाने के लिये पांच वर्ष का ठेका का अनुबंध
- ठेका स्थान :- नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में
- धरोहर राशि :- 2 लाख/- पे आर्डर नं०..... दिनांक.....
- निविदा शुल्क :- 1000/- पे आर्डर नं०..... दिनांक.....
- ईन्टरनेट से निविदा प्राप्त की तिथि :- 08.11.24 से 18.11.24 तक (कार्यालय समय)
- टेण्डर प्राप्ति की दिनांक :- 19.11.24 सांय 03:00 बजे तक
- निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस/अमानत :- 19.11.24 दोपहर 04:00 बजे तक
- राशि प्रस्तुत करने की तिथि
- टेण्डर खुलने की दिनांक :- 20.11.24 सांय 04 बजे
- कार्य अवधि :- 5 वर्ष
- निविदादाता का नाम व डाक का पूरा पता मय फोन नं. :-
- (आधार कार्ड, वॉटर आई.डी, ड्राईविंग लाईसेन्स की कोई एक प्रति)
- आयकर दाता है तो पेन नं० अंकित करें :-
- (पेन कार्ड की प्रति)
- टेण्डर राशि (अंको में) :-
- टेण्डर राशि (अक्षरों में) :-

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने ठेके से संबंधित समस्त शर्तों को पढ लिया है एवं पढकर समझ लिया है मुझे सलंगन समस्त शर्तों/शर्त स्वीकार है मैंने इनमे से किसी शर्त की पालना नहीं करता हूँ तो उक्त ठेका को नगर निगम कोटा दक्षिण को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसमें मेरा कोई उजर मान्य नहीं होगा।

हस्ताक्षर संवेदक :- _____
नाम :- _____
पता :- _____
फोन नं./मोबाईल नं. :- _____

अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण



कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज०)



राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा

Email :- nnksouth@gmail.com, Website :- https://urban.rajasthan.gov.in/nnks

क्रमांक :- ननिको(द)/जनस्वा./2024/12493-503
-:: निविदा सूचना ::-

दिनांक :- 7/11/24

नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में मुर्दा मवेशी एवं हड्डी उठाने के कार्य हेतु 05 वर्ष का ठेका किये जाने हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इस कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने, प्राप्त करने की तिथि व निविदा की शर्तें इत्यादि नगर निगम की वेबसाइट <http://urban.rajasthan.gov.in/nnks>, <http://sppp.raj.nic.in> पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेतु नगर निगम, कोटा दक्षिण के प्रशासनिक भवन में कमरा नं० 239 में सम्पर्क कर सकते हैं। निविदा के किसी भाग को अथवा निविदा को निरस्त करने का अधिकारी सक्षम प्राधिकारी, नगर निगम, कोटा दक्षिण को निहित होगा।

1. निविदा अपलोड करने की तिथि : 08.11.24 से 18.11.24 (सांय 6 बजे तक)
2. निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाइट से) : 08.11.24 से 18.11.24 (सांय 6 बजे तक)
3. निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस/अमानत राशि प्रस्तुत करने की तिथि : 19.11.24 (दोपहर 03:00 बजे तक)
4. टेण्डर खोलने की तिथि : 19.11.24 (सांय 04:00 बजे)
5. प्री बिड मीटिंग की तिथि : 12.11.24 (दोपहर 12:00 बजे)

क्र.सं	कार्य का नाम	धरोहर राशि	टेण्डर फीस	अवधि
1	मुर्दा मवेशी एवं हड्डी उठाने के लिये ठेका	2,00,000 /-	1000 /-	पांच वर्ष

शर्तें :-

1. बिना धरोहर राशि के कोई निविदा मान्य नहीं होगी।
2. गत वर्ष से कम दर की निविदा मान्य नहीं होगी।
3. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
4. अन्य शर्तें कार्यालय समय में नगर निगम कोटा दक्षिण के नवीन प्रशासनिक भवन जनस्वास्थ्य अनुभाग के कमरा नं० 239 प्रथम तल में देखी जा सकती है।
5. दरे एक वर्ष की दी जावे तथा प्राप्त दर में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि राशि जमा कराने पर अगामी 5 वर्षों (कुल पांच वर्ष) हेतु कार्य आवंटित किया जावेगा।
6. दरें स्वीकृत होते ही सम्पूर्ण वर्ष की राशि तुरन्त एक मुश्त निगम कोष में करानी होगी।

अतिरिक्त आयुक्त

नगर निगम कोटा, दक्षिण

दिनांक :- 7/11/24

क्रमांक :- ननिको(द)/जनस्वा./2024/12493-503

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
2. श्रीमान् उपमहापौर महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
3. श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
4. श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा दक्षिण।
5. उपायुक्त जोन प्रथम/द्वितीय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
6. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा दक्षिण।
7. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम कोटा दक्षिण।
8. प्रोग्रामर कमरा नम्बर 325 नगर निगम कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा, निविदा प्रपत्र एवं शर्तें वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. ई-गवर्नेन्स प्रभारी को भेजकर लेख है कि नगर निगम की वेबसाइट पर डालें।
10. पुस्तकालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन नियमानुसार राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्रों में आज ही प्रकाशित करावें।
11. गार्ड फाईल।

WS ✓
अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण



मुर्दा मवेशी एवं हड्डी उठाने के लिये ठेका की शर्तें (पांच वर्ष के लिए)

1. यह ठेका पांच वर्ष के लिये मान्य होगा।
2. ठेका पांच वर्ष में दिया गया है आगामी वर्ष में प्रथम वर्ष में प्राप्त दर का 10 प्रतिशत बढ़ाकर जमा करना होगा तथा द्वितीय वर्ष में जमा राशि का 10 प्रतिशत बढ़ाकर तृतीय वर्ष की राशि निगम कोष में जमा करानी होगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ राशि जमा करानी होगी।
3. प्रथम वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्ती पर आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 राशि में की 10 प्रतिशत राशि जोड़कर 31 मार्च से पूर्व जमा करानी होगी आगामी वर्षों हेतु कमशः हर वर्ष के लिए इससे पूर्व के वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत जोड़कर उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक जमा नहीं होती है तो जमा तिथि तक मय 18 प्रतिशत व्याज के निगम कोष में जमा करानी होगी।
4. नगर निगम कोटा दक्षिण में मरे हुए निजि तथा लावारिस जानवरों एवं उनकी हड्डीयों को उठाना पड़ेगा नियत अवधि में नहीं उठाने पर सी.आर.पी.सी में (दण्ड प्रक्रिया सहिता) की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
5. ठेका स्वीकृत होने पर उनके द्वारा जमा करवाई गई निविदा में उल्लेखित धरोहर राशि (सिक्वोरिटी राशि) की वापसी किसी भी हालत में आगामी नवीन वर्ष के ठेके होने तक नहीं लोटाई जावेगी और ना ही उक्त राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
6. ठेका स्वीकृत होने पर 15 दिन में स्वयं के खर्च पर निगम द्वारा बताये स्थान पर जन सुविधा हेतु टेलिफोन /मोबाईल रखना होगा। जबतक टेलिफोन नहीं लगता है तब तक प्रतिमाह 1000/- मात्र अक्षरे एक हजार रुपये मात्र असुविधा शुल्क निगम कोष में जमा करवाना होगा अन्यथा इसमें विफल रहने पर धरोहर पर धरोहर राशि में से उक्त रकम काटने में निगम सक्षम रहेगा।
7. नगर निगम कोटा दक्षिण सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मरे हुए पशुओं को उठाने के स्थान की तलाशी, खोज, जांच करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
8. नगर निगम कोटा दक्षिण कायन हाउस/गोशाला एवं अन्य निगम के स्थानों पर सरकारी निगम के स्थानों पर सरकारी संस्थाओं के परिसर तथा आम रास्तो पर आवारा लावारिस मरे हुए जानवरों को निःशुल्क उठाना होगा।
9. नगर निगम/जनहित में कोई भी व्यक्ति संस्था से सूचना प्राप्त के 3 घंटे के अन्दर ठेकेदार जानवरों को उठाने की व्यवस्था करेगा, अन्यथा निगम द्वारा उठवाने की व्यवस्था की जावेगी। इस असुविधा के लिए प्रति जानवर 250/-रु० (अक्षरे दो सौ पचास रु०) धरोहर राशि में से कटौती की जावेगी।
10. निगम सीमा में मरे हुए जानवर उठाने की शुल्क वसूली रसीद बुक एवं सूचना प्राप्त करने की पंजिका रखेगे, जो नगर निगम कोटा दक्षिण से प्रमाणित एवं मुद्रांकित करवानी होगी।
11. नगर निगम कोटा दक्षिण सीमा क्षेत्र में मरे हुए जानवरों की सूचना एकत्रित करने हेतु ठेकेदार की निगम द्वारा बताये गये स्थानों पर एक पढा लिखा व्यक्ति 24 घंटे तैयार रखा जावेगा। जो सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित पंजिका में सूचना को दर्ज करेगे। इस स्थान पर टेलीफोन की व्यवस्था आवश्यक रूप से रखनी होगी तथा इस स्थान पर निर्धारित एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा।
12. निम्न दरो पर मरे हुए जानवरों को शुल्क वसूल कर सकेगे। जिसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र (2 प्रति) में जारी की जावेगी एवं एक प्रति संबन्धित स्वामी को दी जावेगी।

1. गाय/बैल/भैंस/भैसा	30/-	प्रति जानवर
2. ढोर/नारकिया	20/-	प्रति जानवर
3. पाडा/पाडी	20/-	प्रति जानवर
4. केरडा/केरडी	15/-	प्रति जानवर
5. भेड/भेडी/बकरा/बकरी	10/-	प्रति जानवर
6. ऊंट/ऊंटनी	60/-	प्रति जानवर
7. घोडा/घोडी	50/-	प्रति जानवर
8. हाथी	200/-	प्रति जानवर

- निर्धारित शुल्क की उक्त दरें रसीद के पीछे अंकित करवानी आवश्यक है एवं निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल नहीं करेंगे। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर 500/- धरोहर राशि में से कटौती की जावेगी। यदि शिकायत बार-बार प्राप्त होती है तो ठेका निरस्त किया जाकर पुनः नीलाम किया जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
13. संवेदक द्वारा मरे हुए जानवरों को उठाने में जिन-जिन व्यक्तियों को लगाया जावे उनके पूर्ण नाम एवं पते आवश्यक रूप से लिखित रूप में प्रस्तुत करें।
 14. नगर निगम कोटा दक्षिण स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानवरों व उनकी हड्डियों एकत्र करने हटाने स्थानान्तरित करने संबंधित दिए गए आदेशों की पूर्ण पालना करनी होगी।
 15. मरे हुए जानवरों की हड्डियों नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा नियत स्थान पर ही डाली जावेगी। यह स्थान आबादी क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर डालना होगा। स्थान का विवरण पृथक से दिया जावेगा।
 16. सूचना प्राप्ति की पंजिका एवं जारी की जाने वाली शुल्क वसूली रसीदों को निरीक्षण करने का अधिकार महापौर/उपमहापौर/आयुक्त/अतिरिक्त/उपायुक्त/आयुक्त/राजस्व/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक जनस्वास्थ्य को होगा। निरीक्षण के समय उपरोक्त अधिकारियों द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध करवानी होगी एवं उनके द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी। अन्यथा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
 17. ठेका अन्य किसी भी व्यक्ति, संस्था को हस्तान्तरित अथवा सबलेट नहीं किया जा सकेगा। यदि जांच में ऐसा कृत्य पाया गया तो ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
 18. मुर्दा मवेशी की खाल चमड़ी को एकत्रित करने हेतू पृथक से गोदाम का नक्शा भी इकरार नामे के साथ देना होगा जो निगम द्वारा नियत किये गये स्थान का ही होगा।
 19. संवेदक को आगामी वित्त वर्ष के ठेके नहीं होने तक कार्य करना होगा एवं जितने दिन अगले वित्तीय वर्ष में कार्य होगा उसको अनुपातिक रूप में उतने दिन की राशि जमा करनी होगी।
 20. ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार राशि के स्टाम पर इकरार नामा करना होगा।
 21. राज्य सरकार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग/नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों के आदेशों की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया तो ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं ठेका पुनः नीलाम किया जा सकेगा।
 22. हड्डी ठेका शर्तों संबंधित अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त होने पर जांच में दोषी पायें जाने पर रूपये 500/- पेनेल्टी अथवा ठेका निरस्त करना स्वास्थ्य अधिकारी/आयुक्त/महापौर द्वारा आरोपित किया जा सकेगा।
 23. भारी जानवर जैसे ऊंट, हाथी आदि मरे हुए जानवर उठवाने की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।
 24. एक प्रतिनिधि नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय दशहरा मैदान में कार्यालय समय में नियुक्त करना होगा।
 25. मृत पशु का परिवहन ढककर करना होगा एवं वन विभाग की भूमि पर मृत पशु नहीं डालेंगे।
 26. सम्पूर्ण राशि कार्यादेश जारी होने से पूर्व जमा करवानी होगी। कार्यादेश प्रथम वर्ष की राशि जमा करवाने के पश्चात जारी होगा।
 27. द्वितीय वर्ष की राशि प्रथम वर्ष पर 10% की वृद्धि करते हुये जमा करानी होगी। इसके लिये अलग से कोई मांग पत्र जारी नहीं होगा। इसी क्रम में निरन्तर पांच वर्षों तक गत वर्ष में 10% की वृद्धि करते हुये जमा कराना होगा।
 28. संवेदक को पांच खाली चैक राशि भरे हुये हस्ताक्षरशुदा बिना दिनांक के कार्यालय में कार्यादेश जारी होने से पूर्व जमा करवाना होगा।

मैंने सलंगन शर्तों, निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, मैं उक्त से सहमत हूँ, एवं पालन करूंगा।

हस्ताक्षर संवेदक :- _____
नाम :- _____
पता :- _____
फोन नं./मोबाईल नं. :- _____

45
अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण

